



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन
(आर्थिक क्षेत्र), उत्तर प्रदेश सरकार पर
31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष
के लिये हस्तपुस्तिका



कार्यालय महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),
उत्तर प्रदेश

वर्ष 2017 के प्रतिवेदन संख्या-1




उत्तर प्रदेश सरकार

प्राक्कथन

यह हस्तपुस्तिका 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र), उत्तर प्रदेश सरकार की संक्षिप्त सामग्री प्रस्तुत करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर 04 प्रस्तारों के महत्वपूर्ण परिणाम है।

पूर्ण प्रतिवेदन वेबसाइट [उब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन](http://www.upsic.gov.in) पर उपलब्ध है।



(विनीता मिश्रा)

महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)

उत्तर प्रदेश

नोट: यद्यपि सम्बन्धित प्रतिवेदन से इस विषय-वस्तु के प्रकाशन में समरूपता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक प्रयत्न किया गया है, किसी विसंगति की दशा में जो तथ्य एवं आँकड़ें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताये गये हैं, अन्तिम होंगे या उस सीमा तक प्रभावी होंगे।

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित सरकारी विभागों एवं स्वायत्त निकायों सहित, के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा से प्रकटित प्रकरणों से सम्बन्धित है। इस प्रतिवेदन में 'उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण नियमों एवं कानूनों के कार्यान्वयन' की एक निष्पादन लेखापरीक्षा, 'राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण' पर लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर आधारित चार प्रस्तर शामिल हैं।

राज्य के आर्थिक क्षेत्र में 18 विभाग एवं 86 स्वायत्त निकायें हैं जो महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ की लेखापरीक्षा परिधि में आते हैं।

राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

कुल बजट परिव्यय ₹ 2,81,703.43 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,86,276.58 करोड़ का कुल व्यय हुआ। 2015-16 में राज्य का कुल व्यय ₹ 2,26,197.23 करोड़ (2014-15) से बढ़कर ₹ 2,86,276.58 करोड़ (26.56 प्रतिशत) तक हो गया। 2015-16 में राजस्व व्यय भी ₹ 1,71,027.32 करोड़ (2014-15) से बढ़कर ₹ 2,12,735.95 करोड़ (24.38 प्रतिशत) तक हो गया।



लेखापरीक्षा की योजना एवं सम्पादन

वर्ष 2015-16 में कार्यालय, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के 18 विभागों तथा 86 स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा एक विषयगत लेखापरीक्षा सम्मिलित करते हुए समस्त 178 योजनागत इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी।

विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 14(2) के तहत इस कार्यालय को उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का स्पष्ट अधिदेश है। अतः इस कार्यालय द्वारा मई 2016 तक विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नियमित रूप से की गई। इसके अतिरिक्त, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की निष्पादन लेखापरीक्षा इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए शुरू की गई। तथापि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा करवाने से मना कर दिया (जून 2016)। इस कारण, जीडीए की निष्पादन लेखापरीक्षा को स्थगित कर दिया गया तथा 11 विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जो वर्ष 2016-17 के लिये योजनागत थी, शुरू नहीं की जा सकी।



‘उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण नियमों एवं कानूनों के कार्यान्वयन’ की निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) नियोजन, समन्वय, प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण और पर्यावरण के विनियमों के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है। यूपीपीसीबी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वर्ष 1975 में किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा 2015-16 तक पाँच वर्षों को आच्छादित करते हुए की गयी।

लेखापरीक्षा परिणाम

वाराणसी और लखनऊ में प्रदूषण स्तर में विषमता

लेखापरीक्षा ने राज्य के दो महत्वपूर्ण शहरों वाराणसी और लखनऊ में 2011 से 2015 के मध्य जल, वायु और नगरीय ठोस अपशिष्ट के सम्बन्ध में प्रदूषण के स्तरों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि वाराणसी में जनसंख्या घनत्व लखनऊ से अधिक था तथापि वाराणसी में प्रदूषण स्तर लखनऊ की तुलना में अनुकूलतम है (जल, वायु और नगरीय ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित) जैसा अगले पृष्ठ तुलना की गयी है:

वाराणसी	लखनऊ
<p>जल प्रदूषण</p> <p>वाराणसी में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जैसा नीचे वर्णन किया गया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● डीओ स्तर 2011 के स्तर 7.14 मि०ग्रा०/ली० से बढ़कर 2015 में 7.40 मि०ग्रा०/ली० हो गया; ● बीओडी स्तर 2011 के स्तर 6.22 मि०ग्रा०/ली० से घटकर 2015 में 5.09 मि०ग्रा०/ली० हो गया; ● टोटल कॉलीफोर्म मात्रा 2011 के स्तर 48,000 एमपीएन/100 मि०ली० से घटकर 2015 में 44,000 एमपीएन/100 मि०ली० हो गयी। 	<p>जल प्रदूषण</p> <p>गोमती नदी के जल की गुणवत्ता और खराब हुई है जैसा नीचे वर्णन किया गया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● डीओ स्तर 2011 के स्तर 3.1 मि०ग्रा०/ली० से घटकर 2015 में 0.88 मि०ग्रा०/ली० हो गया; ● बीओडी स्तर 2011 के स्तर 7.9 मि०ग्रा०/ली० से बढ़कर 2015 में 12.96 मि०ग्रा०/ली० हो गया; ● टोटल कॉलीफोर्म मात्रा 2011 के स्तर 102666 एमपीएन/100 मि०ली० से बढ़कर 2015 में 136667 एमपीएन/100 मि०ली० हो गयी।
<p>वायु प्रदूषण:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2011–2015 के दौरान पीएम₁₀ का वार्षिक औसत मान 125.55 माइक्रोग्राम/घन मी० से 147.90 माइक्रोग्राम/घन मी० था। 	<p>वायु प्रदूषण:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2011–2015 के दौरान पीएम₁₀ का वार्षिक औसत मान 163.91 माइक्रोग्राम/घन मी० से 191.36 माइक्रोग्राम/घन मी० था।
<p>एमएसडब्ल्यू प्रशोधन सुविधा:</p> <p>शहर में कुल एमएसडब्ल्यू उत्पादन 928.84 एमटी/दिन था जिसके सापेक्ष प्रशोधन संयंत्र में 600 एमटी/दिन प्रशोधित किया जा रहा है।</p>	<p>एमएसडब्ल्यू प्रशोधन सुविधा:</p> <p>शहर में कुल एमएसडब्ल्यू उत्पादन 1,670 एमटी/दिन था जिसके सापेक्ष 1,300 एमटी/दिन की क्षमता का प्रशोधन संयंत्र अभी भी ट्रायल में है।</p>

(प्रस्तर 2.1.9.4)

जल प्रदूषण

राज्य में 53 स्थानों पर यूपीपीसीबी माह में एक बार नमूना एकत्रित कर 12 प्रमुख नदियों एवं छः जलाशयों में प्रदूषण के स्तर का अनुश्रवण करता है। लेखापरीक्षा द्वारा 12 प्रमुख नदियों एवं छः जलाशयों की परीक्षण रिपोर्ट (2013-15) प्राप्त एवं विश्लेषित की गयी।



जल का अपर्याप्त विश्लेषण

प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं के कारण यूपीपीसीबी पानी की गुणवत्ता के आंकलन के लिये नौ मूल मानकों में से छः का अनुश्रवण नहीं कर सका।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

राज्य की नदियों/जलाशयों में उच्च प्रदूषण

गंगा और गोमती नदियों सहित सभी 12 प्रमुख नदियों और छः जलाशयों, जिनका अनुश्रवण राज्य में किया जा रहा था, की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार नहीं

थी। इसके मुख्य कारण अपर्याप्त सीवेज/औद्योगिक उत्प्रवाह प्रशोधन संयंत्र की सुविधायें एवं वर्तमान प्रशोधन सुविधाओं की असम्यककार्यता थे।

मार्च 2016 में 20,380 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज की कुल उत्पत्ति के सापेक्ष, स्थापित, प्रवर्तित और परिचालित सीवेज प्रशोधन संयंत्र (एसटीपी) की कुल क्षमता 2,187.59 एमएलडी (11 प्रतिशत) ही थी। इस प्रकार, शेष 18,192.41 एमएलडी (89 प्रतिशत)




ग्वाल टोली, कानपुर में गंगा नदी में गिरता हुआ सिसामऊ नाला

सीवेज नदियों/धाराओं/ झीलों/खुली भूमि में अशोधित प्रवाहित किया जा रहा था जिसके कारण अत्यधिक प्रदूषण हो रहा था। यूपीपीसीबी दोषियों जो नगर निकाय एवं उद्योग थे, के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

लखनऊ के गोमती नदी में डीओ स्तर



अनुशांसा

यू पीपीसीबी को जल की गुणवत्ता सुधारने हेतु योजना बनानी चाहिए और नदियों में प्रवाहित किये जाने वाले अशोधित सीवेज का डेटाबेस अद्यतन रखना चाहिए। कानूनों का सख्ती से पालन करवाने के लिए दोषी एजेंसियों पर जुर्माना अवश्य उद्ग्रहित करना चाहिए।

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषकों का अपर्याप्त अनुश्रवण


यू पीपीसीबी, अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं के कारण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित वायु की गुणवत्ता के निर्धारित 12 मापदंडों में से सिर्फ तीन मापदंडों का अनुश्रवण कर रहा था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

पार्टिकुलेट मैटर का मानक से अधिक उत्सर्जन

पी एम₁₀ का वार्षिक औसत स्तर छः प्रमुख शहरों, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मानक की तुलना में सामान्यतः अत्यधिक था जो कि 87 से 347 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मध्य विस्तारित था। यूपीपीसीबी इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.2)



सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों को स्थापित करने में विफलता

यू पीपीसीबी गम्भीर प्रदूषित शहरों में सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना नहीं कर सका। यह अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा ऑनलाइन सतत् उत्सर्जन एवं

उत्प्रवाह अनुश्रवण तंत्र की स्थापना सुनिश्चित कराने में विफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

थर्मल पावर संयंत्रों द्वारा जनित फ्लाई एश का कम उपयोग

यह अलीगढ़, रायबरेली और सोनभद्र में थर्मल पावर संयंत्रों में जनित फ्लाई एश की निगरानी और 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। इसकी निगरानी नहीं करने का कोई कारण अभिलेखित नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)



एनटीपीसी पावर प्लान्ट, सोनभद्र का फ्लाई एश डम्प

अनुशंसा

यू पीपीसीबी को वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए, सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों, सतत् गैस उत्सर्जन और जल उत्प्रवाह निगरानी तंत्र की स्थापना करना चाहिए और सीपीसीबी/एमओईएफ के आदेश के अन्तर्गत फ्लाई एश के पूर्ण उपयोग का अनुश्रवण करना चाहिए।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रशोधन की अपर्याप्त सुविधा

एमएसडब्ल्यू प्रशोधन की सुविधा 636 नगर निकायों में से 620 में नहीं थी। प्रतिदिन 15,403 एमटी एमएसडब्ल्यू में से केवल 1,521 एमटी ही प्रशोधित किया जा रहा था। यूपीपीसीबी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.3)



खुले में पड़ा एमएसडब्ल्यू

अनुशांसा

यू पीपीसीबी को नगर निकायों और अन्य प्रतिष्ठानों को निर्देश जारी करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) शोधन की अपर्याप्त सुविधा

राज्य में, 8,366 स्वास्थ्य उपचार

प्रतिष्ठान (एचसीई) थे जिसमें से 3,362 एचसीई प्राधिकार के बिना कार्यरत थे। राज्य में कुल बीएमडब्ल्यू उत्पत्ति 37,498 किग्रा/दिन थी जिसमें से केवल 35,816 किग्रा/दिन का प्रशोधन और निस्तारण किया गया। अपर्याप्त प्रशोधन सुविधा होने के कारण 1,682 किग्रा/दिन बीएमडब्ल्यू बिना शोधन



चक गंजरिया लखनऊ के निकट बीएमडब्ल्यू पृथक्करण के बिना रखा गया

के निस्तारित किया जा रहा था। किन्तु यूपीपीसीबी अनाधिकृत संचालन और बीएमडब्ल्यू के अशोधित निस्तारण का अनुश्रवण करने में और दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.5)

अनुशांसा

यूपीपीसीबी को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन और प्रबंधन के लिए एचसीई को बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुपालन के लिए निर्देश जारी करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करना चाहिए।

परिसंकटमय अपशिष्ट

परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादक 1,830 उद्योगों में से 327 उद्योग बिना प्राधिकार के चल रहे थे

परिसंकटमय अपशिष्ट के अवैध डंप साइट

राज्य में पाँच अवैध डंप साइटों (चार कानपुर में और एक देवा रोड, बाराबंकी में) पर लगभग 1,41,432 एमटी परिसंकटमय अपशिष्ट कई वर्षों से डम्प किया हुआ पाया गया, लेकिन यूपीपीसीबी द्वारा अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप भूजल और वायु प्रदूषित हुए।

(प्रस्तर 2.1.9.6)



खानपुर, कानपुर में परिसंकटमय अपशिष्ट (रसायनिक औद्योगिक अपशिष्ट) का डम्प

ई-अपशिष्ट

राज्य में ई-अपशिष्ट की 27 रीसाइक्लिंग/संग्रहण/उत्पादक इकाइयों (कुल क्षमता 89,886 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) में से 11 इकाइयाँ (42,840 एमटीए, कुल क्षमता का 48 प्रतिशत) प्राधिकार के बिना कार्यरत थी। तथापि, यूपीपीसीबी द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

(प्रस्तर 2.1.9.7)

अनुशंसा

यू पीपीसीबी को परिसंकटमय/ई-अपशिष्ट के हथालन एवं प्रबंधन के लिए बने नियमों के अनुपालन हेतु संबंधित प्रतिष्ठानों को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करनी चाहिए।

नियोजन

- यूपीपीसीबी के पास प्रदूषण के स्रोतों की पूर्ण और व्यापक सूची नहीं थी।
- यूपीपीसीबी कार्य योजना के अनुसार प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उन्नयन नहीं कर सका।
- यूपीपीसीबी अपनी प्रयोगशालाओं को परिसंकटमय अपशिष्ट एवं तलछट के विश्लेषण की सुविधाओं से सुसज्जित करने में असफल रहा।
- यूपीपीसीबी अत्यधिक प्रदूषण कारक उद्योगों के वायु प्रदूषण के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को केन्द्रीय प्रयोगशाला से संबद्ध करने की प्रणाली विकसित करने में असफल रहा।
- यूपीपीसीबी की किसी भी प्रयोगशाला की आधिकारिक मान्यता नहीं थी।

(प्रस्तर 2.1.7.1 एवं 2.1.7.3)

अनुशंसा

यू पीपीसीबी को प्रदूषण स्रोतों की पूर्ण और व्यापक सूची तैयार करना चाहिये। इसे अपनी कार्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए और समुचित अनुश्रवण के लिये अपनी प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु नवीनतम परीक्षण उपकरणों और सुविधाओं को प्राप्त करना चाहिये और इनके लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त करनी चाहिये।

वित्तीय प्रबंधन

यू पीपीसीबी की आय के मुख्य स्रोतों में से एक उद्योगों/नगर निकायों से जल अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत संग्रहित किये जाने वाले जल उपकर में इसका अंश है। जल उपकर यूपीपीसीबी द्वारा संग्रहित किया जाता है और भारत सरकार (जीओआई) के पास जमा किया जाता है। यूपीपीसीबी द्वारा वसूल एवं जमा की गयी राशि का अस्सी प्रतिशत जीओआई द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

जल उपकर का बकाया

यू पीपीसीबी नगर निकायों को जल उपकर के बिलों को नियमित रूप से निर्धारित और जारी करने में असफल रहा तथा 2005–2014 के मध्य जारी किये गये ₹ 146.43 करोड़ की धनराशि के बिलों की वसूली करने में भी असफल रहा। इसके अतिरिक्त उद्योगों से न वसूल की गयी जल उपकर की धनराशि भी मार्च 2012 के ₹ 384.75 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 1050.13 करोड़ हो गयी। यूपीपीसीबी जल उपकर का ₹ 193.32 करोड़ का अपना अंश भारत सरकार से प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि यह पूर्व में प्राप्त जल उपकर का उपयोग करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

यू पीपीसीबी ने अपने वार्षिक लेखे वर्ष 2008–09 से तैयार नहीं किये थे एवं वर्ष 1992–93 से इनकी लेखापरीक्षा भी नहीं करायी थी। इसने निधियों की उपलब्धता के बावजूद 2011–12 से 2015–16 के दौरान बजट में प्रावधानित व्यय का केवल 9 से 21 प्रतिशत ही प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर व्यय किया।

(प्रस्तर 2.1.8.2 एवं 2.1.8.5)

अनुशंसा

यूपीपीसीबी को उद्योगों/स्थानीय निकायों से जल उपकर का उचित निर्धारण और वसूली सुनिश्चित करना चाहिए, वित्तीय

विवरण अद्यतन तैयार करना चाहिए और उनकी लेखापरीक्षा करानी चाहिए, एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपायों हेतु निधियों का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा द्वारा प्रदूषण और यूपीपीसीबी की भूमिका के बारे में जनता के विचारों को जानने के लिये में पाँच शहरों में लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया। जल, वायु, नगरीय ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट के प्रदूषण के बारे में कुल 256 लोगों की लिखित राय एक प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त की गयी। अधिकतर व्यक्तियों को यूपीपीसीबी/उप्र सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उठाये गये कदम पर्याप्त नहीं लगे।

अनुश्रवण

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को देखा:

- यूपीपीसीबी ने निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने में किसी भी मानदण्ड का पालन नहीं किया।
- उद्योगों के निरीक्षण के लक्ष्यों के अन्तिमीकरण एवं उसकी प्राप्ति में कमी थी।
- यूपीपीसीबी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.1.10.2 एवं 2.1.10.3)

अनुशंसा

यूपीपीसीबी को मानदंडों के अनुसार उद्योगों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और दोषी उद्योगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। यूपीपीसीबी की एक अलग आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा होनी चाहिए जो सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी हो।

‘राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण’ पर लेखापरीक्षा

पर्यटन विभाग (विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस), राज्य में पर्यटन के विकास के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। विभाग, पर्यटन निदेशालय (निदेशालय) जिसका सृजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1972 में किया गया, के माध्यम से कार्य करता है। लेखापरीक्षा ने ₹ पाँच करोड़ और उससे अधिक स्वीकृत लागत की सभी 27 योजनायें (100 प्रतिशत) और ₹ दो करोड़ और ₹ पाँच करोड़ के बीच स्वीकृत लागत की 27 योजनायें (50 प्रतिशत) नमूने के रूप में चयनित की।



लखनऊ में फेकेड लाइट की स्थापना

लेखापरीक्षा परिणाम

नियोजन

एकीकृत/मुख्य योजना नहीं बनायी गई

पर्यटन नीति, 1998 बनने के बाद 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद, निदेशालय ने पर्यटन परिपथों के संतुलित एवं उचित विकास के लिये कोई भी परिपथ-वार मुख्य योजना और एकीकृत योजना तैयार नहीं की। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राज्य में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के लिये योजनाओं का कोई भी मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया।

(प्रस्तर 2.2.2.1 एवं 2.2.2.3)

वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के वित्तीय बजट से विभाग को पूँजीगत बजट के रूप में ₹ 583.33 करोड़ प्रदान किये जो कि राज्य के कुल बजट का केवल 0.19 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, कार्यों के समापन में देरी के कारण केवल ₹ 339.51 करोड़ (58.20 प्रतिशत) खर्च किये जा सके।

(प्रस्तर 2.2.3)

रोकड़ बही और प्रमाणकों को न बनाना

निदेशालय एक चालू बैंक खाते का संचालन कर रहा था जिसे सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निदेशालय द्वारा उक्त खाते से किये गये लेनदेनों के अभिलेखीकरण के लिये रोकड़ बही और प्रमाणकों का रखरखाव नहीं किया।

(प्रस्तर 2.2.3.3)


योजनाओं का निष्पादन

योजनाओं को पूर्ण करने एवं हस्तान्तरण में देरी


जाँची गयी 54 योजनाओं में से केवल 14 योजनायें, सात वर्ष से अधिक एवं छः महीने की देरी से पूर्ण हुईं। शेष योजनायें निष्पादन के विभिन्न चरणों के तहत चल रही थी। इसके अतिरिक्त, छः पूर्ण योजनायें पूरा होने की तारीख के बाद से मार्च 2016 तक 12 महीने से 49 महीने से अधिक अवधि से हस्तान्तरण के लिये लम्बित थी। योजनाओं के निष्पादन में देरी का मुख्य कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा ने विश्लेषण में पाया, कार्यदायी संस्थाओं के लिए किसी समय-सीमा का निर्धारण न करना, भूमि की व्यवस्था करने में विफलता, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में देरी और अनुश्रवण में कमी, थे।

(प्रस्तर 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3 एवं 2.2.5.2)

केन्द्र सरकार से वित्त पोषित चयनित 29 योजनाओं की भौतिक स्थिति



राज्य सरकार से वित्त पोषित चयनित 25 योजनाओं की भौतिक स्थिति



कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारण केन्द्रीय वित्तीय सहायता का कालातीत होना

भारत सरकार द्वारा तय समय-सीमा के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन में विफलता के कारण निदेशालय ₹ 31.25 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सका।

(प्रस्तर 2.2.4.2)

योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब

कार्यों का समय से आरम्भ सुनिश्चित करने में निदेशालय की विफलता के कारण ₹ 47.98 करोड़ की निधि कार्यदायी संस्थाओं के पास अवरुद्ध रही तथा ₹ 1.84 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.4.2 एवं 2.2.4.3)

योजनाओं के क्रियान्वयन में अन्य कमियाँ

दस योजनाओं (स्वीकृत लागत ₹ 110.30 करोड़) में विभाग ने उप्रस के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अनियमित तरीके से कार्यदायी संस्थाओं को नियुक्त किया।

(प्रस्तर 2.2.4.4)

अनुश्रवण

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान 10 क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों में से केवल दो क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों लेखापरीक्षा की गई। निदेशालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

(प्रस्तर 2.2.5.1)

अनुश्रवण समिति के गठन में विफलता

भारत सरकार के आदेश के बावजूद भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण कोई अनुश्रवण समिति नहीं बनायी गयी।

(प्रस्तर 2.2.5.2)

गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का अभाव

क्रियान्वित हुए कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र नहीं था।

(प्रस्तर 2.2.5.3)

अनुशंसाएँ

निदेशालय को उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति का अनुपालन करना चाहिए और मुख्य योजना और एकीकृत योजना तैयार करनी चाहिए। विभाग को योजनाओं के मात्रात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए।

निदेशालय को योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना चाहिए। इसे भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण के लिये समिति का गठन करना चाहिए और क्रियान्वित हुए कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये एक तन्त्र भी स्थापित करना चाहिए। इसे आन्तरिक लेखापरीक्षा करानी चाहिए।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

हा पुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण 102 भूखण्डों की बिक्री पर अवस्थापना विकास निधि हेतु ₹ 3.67 करोड़ का अधिभार लगाने में असफल रहा।

(प्रस्तर 3.1)

आ गरा विकास प्राधिकरण को नगरीय विकास प्रभार कम लगाये जाने तथा कम वसूले गये नगरीय विकास प्रभार पर ब्याज न लगाये जाने से ₹ 3.13 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2)

वा राणसी विकास प्राधिकरण ने ₹ आठ करोड़ के अप्रयोज्य ऋण को देरी से वापस करने के कारण ₹ 0.75 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान किया।


(प्रस्तर 3.3)



सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ई-गवर्नेंस के अन्तर्गत प्राप्त यूजर चार्ज को सम्बन्धित सरकारी विभागों को हस्तान्तरित करने हेतु दिशानिर्देश जारी करने में असफल रहा। निधियों को बैंक के चालू खाते (बिना किसी ब्याज के) में रखा गया। इसके परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश सरकार को अप्रैल 2013 से जनवरी 2016 के दौरान ₹ 2.84 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.4)



क्यूआर कोड
के लिये स्थान

पूर्ण प्रतिवेदन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
2016
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन